पत्रांक–1/प्रा0आ0–0–3–23/2015............................/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

वरीय प्रभारी पदाधिकारी

शाखा...

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
विशेष सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग,
बिहार, पटना।

समाहरणालय मधेपुरा
03 MAY 2015

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **माह फरवरी –मार्च 2015 में ओलापात से क्षतिग्रस्त फसलों हेतु गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष– 2245–02–114–0001– कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) आवंटित राशि के विरूद्ध जिलों में आव यकता से अधिक उपावंटित राशि प्रत्यर्पित करने हेतु जिलों को निदेशित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आपके द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष– 2245–02–114–0001– कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) के अन्तर्गत विभगीय आवंटन पत्रांक 3(स0अनु0)/आ0प्र0 दिनांक 22.04.2015 द्वारा 16.08 करोड़, 14(स0अनु0)/आ0प्र0 दिनांक 26.04.2015 द्वारा 400.00 करोड़ तथा 16(स0अनु0)/आ0प्र0 दिनांक 30.04.2015 द्वारा 200.00 करोड़ कुल 616.08 करोड़ (छः अरब सोलह करोड़ आठ लाख रूपये) आवंटित किया गया। उक्त आवंटित राशि के विरूद्ध कृषि विभाग के पत्रांक 7 (आवंटन)/कृ0 दिनांक 27.04.2015 द्वारा 413.08 करोड़ एवं 8 (आवंटन)/कृ0 दिनांक 01.05.2015 द्वारा 188.00 करोड़ कुल 601.08 करोड़ (छः अरब एक करोड़ आठ लाख रूपये) राज्य के 37 जिलों (गोपालगंज छोड़कर) को उपावंटित किया गया।

2. ओलावृष्टि से फसल क्षति के मद्देनजर कृषि विभाग के पत्रांक 7 (आवंटन)/कृ0 दिनांक 27.04.2015 एवं 8 (आवंटन)/कृ0 दिनांक 01.05.2015 द्वारा गया जिला को कुल 12. 0132 करोड़ उपावंटित किया गया है। सी0टी0एम0आई0एस0 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार गया जिला द्वारा दिनांक 05.05.2015 तक 1.5561 करोड़ की निकासी की गई है तथा 1.16 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित किया गया है। जिला पदाधिकारी, गया द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उक्त व्यय की गई राशि के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नही है। ऐसी स्थिति अन्य जिलों में भी हो सकती है। इस प्रकार जिलों को राशि उपावंटित करने के बावजूद जिलों में एक बड़ी राशि अव्ययित रहने की संभावना है।

3. उपर्युक्त के आलोक में जिलों को यह निदेशित करने की आवश्यकता है कि उपावंटित राशि के विरूद्ध वास्तविक खर्च किया जाय तथा बची हुई उपावंटित राशि के आवंटन को विभाग को वापस कर दिया जाय। साथ ही यदि राशि की निकासी कर ली गई हो, तो चालान के माध्यम से उसे संबंधित शीर्ष में जमा करते हुए कृषि विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग को सूचित किया जाय।

D:\letter 06-05-15..docx

07/05 2015 00:03 06122217786 APDA PRABANDHAN #2433 P.001

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि जिलों द्वारा प्रत्यर्पित राशि को समेकित कर विभाग को आवंटन प्रत्यर्पित किया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक 1680 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक 6/5/2015

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/5/15
विशेष सचिव

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

ज्ञापांक - 233 दिनांक - 11.5.15

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा / अनुमण्डल पदाधिकारी - मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/5/15
प्रभारी पदाधिकारी
आपदा प्रबंधन
मधेपुरा

D:\letter 06-05-15..docx